

भारत सरकार /Government of India  
अंतरिक्ष विभाग/ Department of Space  
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र /VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE  
तिरुवनंतपुरम/ Thiruvananthapuram

वीएसएससी /सीएस /प्रशा./2026-27  
VSSC/CS/ADMN/2026-27

वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय/VSSC Central School  
फरवरी/February 07, 2026

**परिपत्र/CIRCULAR**

शैक्षिक वर्ष **2026-27** के लिए वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा I में प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक **09.02.2026** से **23.2.2026** तक होगा। पंजीकरण फॉर्म दिनांक **09.02.2026** से **23.2.2026** तक विद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

Registration for admission to Std 1 in VSSC Central School for the academic year **2026-27** will be from **09.02.2026** to **23.2.2026**. Registration form can be downloaded from the school website from **09.02.2026** to **23.2.2026**.

(B) शैक्षिक वर्ष **2026-2027** के लिए वीएसएससी केंद्रीय विद्यालय में बालवाटिका III में प्रवेश के लिए पंजीकरण दिनांक **12.02.2026** से **26.02.2026** तक होगा। पंजीकरण फॉर्म दिनांक **12.02.2026** से **26.02.2026** तक विद्यालय के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

Registration for admission to Balvatika III in VSSC Central School for the academic year **2026-2027** will be from **12.02.2026** to **26.02.2026**. Registration form can be downloaded from the school website from **12.02.2026** to **26.02.2026**.

**कक्षा I और बालवाटिका III के लिए पात्रता मानदंड/Eligibility Criteria for Class I and Balvatika III:**

1. प्रवेश निम्नलिखित तीन श्रेणियों तक ही सीमित है।

Admission is restricted to the following three categories:

(i) वीएसएससी, आइआइएसयू, एलपीएससी, आइआइएसटी तथा केओसुब के कर्मचारियों के बच्चे

Children of the employees of VSSC, IISU, LPSC, IIST & CISF.

(ii) इसरो के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पोते/पोतियां

Grandchildren of serving/retired employees of ISRO.

(iii) **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अधीन कक्षा I में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड**

**Eligibility Criteria for Class I admission under Right to Education Act (RTE)\***

नए प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों में से 25 % आरटीई के अधीन आरक्षित किया जाएगा।

Out of available seats for fresh admission 25% shall be reserved for RTE

## **2. प्रवेश प्राथमिकता/Admission Priority:**

पात्र श्रेणियों के बीच प्रवेश के लिए प्राथमिकता निम्नानुसार होगी।

Among the eligible categories, priority for admission will be as follows:

**प्रथम प्राथमिकता:** इसरो कर्मचारी क्वार्टर्स में रहनेवाले वीएसएससी, आइआइएसयू, एलपीएससी तथा आइआइएसटी के कर्मचारियों के बच्चे।

**1<sup>st</sup> Priority:** Children of VSSC, IISU, LPSC & IIST employees residing in ISRO Staff Quarters.

**द्वितीय प्राथमिकता:** इसरो कर्मचारी क्वार्टर्स में रहनेवाले इन केंद्रों के केओसुब कार्मिकों के बच्चे।

**2<sup>nd</sup> Priority:** Children of CISF Personnel of these Centers residing in ISRO Staff Quarters.

**तृतीय प्राथमिकता:** क्वार्टर्स के बाहर रहनेवाले वीएसएससी, आइआइएसयू, एलपीएससी तथा आइआइएसटी के कर्मचारियों के बच्चे।

**3<sup>rd</sup> Priority:** Children of VSSC, IISU, LPSC & IIST employees residing outside the Quarters.

**चौथी प्राथमिकता:** क्वार्टर्स के बाहर रहनेवाले इन केंद्रों के केओसुब कार्मिकों के बच्चे।

**4<sup>th</sup> Priority:** Children of CISF Personnel of these Centers residing outside the Quarters.

**पांचवीं प्राथमिकता:** इसरो के कार्यरत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पोते/पोत्तियां

**5<sup>th</sup> Priority:** Grandchildren of serving/retired employees of ISRO.

**\*आरक्षित:** आरटीई श्रेणी में आनेवाले बच्चे। आरटीई अधिनियम, पास-पड़ोस के सुविधावंचित समूह और कमजोर वर्गों के बच्चों पर लागू होता है।

**\*Reserved:** Children belonging to RTE Category. RTE act is applicable to children belonging to disadvantaged group and weaker sections of neighbourhood.

### **A. सुविधावंचित समूह की परिभाषा/DEFINITION OF DISADVANTAGED GROUP**

A.1. सुविधावंचित समूह के बच्चों से तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग या ऐसे अन्य समूह, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लैंगिक या उचित सरकार द्वारा अधिसूचना (आरटीई अधिनियम की धारा 2(डी) ) से विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसे अन्य घटक के कारणवश सुविधावंचित बच्चों से है।

Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate Government, by notification (Section 2 (d) of RTE Act).

A.2. विशेष आवश्यकताओं से युक्त तथा अशक्तता से पीड़ित बच्चे को आइटीई अधिनियम 2009/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषितानुसार निर्धारित किया जाएगा।

Child with special needs and suffering from disability will be determined as per the provision mentioned in RTE Act 2009/ RPwD Act 2016 or as defined by the concerned State Government.

## B. कमज़ोर वर्ग की परिभाषा/DEFINITION OF WEAKER SECTION

कमज़ोर वर्ग के बच्चे से तात्पर्य उस बच्चे से है जिसके माता-पिता या अभिभावक (न्यायालय या संविधि द्वारा घोषित) जिनका वार्षिक आय उचित सरकार द्वारा अधिसूचना (धारा2(ई)) से विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित आय सीमा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचितानुसार लागू होगी।

A child belonging to a weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government, by notification (Section2(e)). The income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the State Govt. concerned.

## C. पास-पड़ोस की परिभाषा (मात्र आरटीई के अधीन प्रवेश हेतु लागू)/Definition of neighbourhood (Applicable for admission under RTE only)

C.1. शहरी क्षेत्र/ Urban area- 5 कि.मी. त्रिज्या/ 5 km Radius

C.2. उपनगरीय /Suburban- 8 कि.मी. त्रिज्या/ 8 km Radius

ऊपर उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी में प्रवेश पहले आए पहले पाए आधार पर रहेगा।

Among each of the categories mentioned above, admission will be on a first come first serve basis.

### 4. आयु सीमा/Age limit:\*\*

4.1. कक्षा I के लिए आयु सीमा दिनांक **31.03.2026** के अनुसार **6** साल (आरटीई सहित) है।

The age limit is 6 years for Std I (including RTE) as on 31/03/2026

4.2. बालवाटिका III के लिए आयु सीमा दिनांक **31.03.2026** के अनुसार **5** साल है।

The age limit is 5 years for Balvatika III as on 31/03/2026.

### 5. प्रमाणपत्र/Certificates:

पंजीकरण फॉर्म के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया जाना है:

The following certificates are to be submitted along with the registration form:

5.1 नगर-निगम /नगरपालिका /ग्राम /पंचायत द्वारा जारी किए गए जन्म तिथि प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।

An attested copy of the Date of Birth Certificate issued by the Corporation/Municipality/ Village/Panchayat.

5.2 एससी /एसटी /ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति /समुदाय प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।

An attested copy of the Caste/ Community Certificate issued by the Competent Authority in the case of SC/ST/OBC candidates.

- 5.3 जहां भी लागू हो, सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाणित करनेवाले प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति कि बच्ची/बच्चा विशेष आवश्यकताओं से युक्त (सीडब्ल्यूएसएन) है। ऐसे मामले में, जहां बच्चे की अशक्तता प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं आंखों से देखी जा सकती है, बच्चे को प्रमाणपत्र के बिना भी सीडब्ल्यूएसएन के रूप में स्वीकृत किया जाए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी से संगत प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे विद्यालय को प्रस्तुत करने की सलाह माता-पिता को दी जाए।

An attested copy of a certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India certifying that she/he is a child with Special Needs (CwSN), wherever applicable. In case, where the disability of the child can be visually seen by the Principal, the child may be accepted as a CwSN, even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the Competent Authority and submit the same to the school.

- 5.4 आधार कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति (वैकल्पिक)  
Attested copy of Aadhaar card(optional)
- 5.5 पांचवीं प्राथमिकता के लिए प्रमाण के रूप में स्थापना अनुभाग से प्राप्त रोज़गार प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।  
Attested copy of employment certificate from Establishment section as proof for 5<sup>th</sup> priority.
- 5.6 पांचवीं प्राथमिकता के लिए निवासीय प्रमाण हेतु प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।  
Attested copy of certificate for residential proof for 5<sup>th</sup> priority.
- 5.7 एससी/एसटी श्रेणी के अधीन पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र 1 से 5 तक की प्राथमिकताओं के अंतर्गत आनेवाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आय प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।  
Attested copy of income certificate issued by competent authority for candidates eligible for pre-metric scholarship under SC/ST category belonging to 1<sup>st</sup> to 5<sup>th</sup> priorities.
- 5.8 आरटीई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आय प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।  
Attested copy of income certificate issued by competent authority for RTE

**6. प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया जाना है:**  
**At the time of admission, the following certificates are to be submitted:**

- 6.1 मूल जन्म-तिथि प्रमाणपत्र (बच्चे के प्रवेश के समय माँ-बाप द्वारा एक बार अभिलेखित जन्मतिथि का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।)  
Original date of birth certificate (Date of birth, once recorded by the parent at the time of admission of the child, will not be changed).
- 6.2 एससी /एसटी /ओबीसी अभ्यर्थियों के मामले में सत्यापन के लिए मूल जाति/समुदाय प्रमाणपत्र।  
Original Caste/ Community Certificate in the case of SC/ST/OBC candidates for verification.

- 6.3 एससी/एसटी श्रेणी के अधीन पूर्व-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्र 1 से 5 तक की प्राथमिकताओं के अंतर्गत आनेवाले अभ्यर्थियों के लिए मूल आय प्रमाणपत्र।

Original income certificate for candidates eligible for pre-metric scholarship under SC/ST category belonging to priorities 1 to 5.

- 6.4 आरटीई के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल आय प्रमाणपत्र।

Original income certificate issued by competent authority for RTE.

- 6.5 जहां भी लागू हो, सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र या भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाणित करनेवाले प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति कि बच्ची/बच्चा विशेष आवश्यकताओं से युक्त (सीडब्ल्यूएसएन) है। ऐसे मामले में, जहां बच्चे की अशक्तता प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं आंखों से देखी जा सकती है, बच्चे को प्रमाणपत्र के बिना भी सीडब्ल्यूएसएन के रूप में स्वीकृत किया जाए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी से संगत प्रमाणपत्र प्राप्त करने और उसे विद्यालय को प्रस्तुत करने की सलाह माता-पिता को दी जाए।

A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India certifying that she/he is a child with Special Needs (CwSN), wherever applicable. In cases where the disability of the child can be visually seen by the Principal, the child may be accepted as a CwSN, even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the Competent Authority and submit the same to the school.

- 6.6 पांचवीं प्राथमिकता के लिए प्रमाण के रूप में स्थापना से प्राप्त मूल रोजगार प्रमाणपत्र।

Original employment certificate from Establishment as proof for 5<sup>th</sup> priority.

- 6.7 पांचवीं प्राथमिकता और आरटीई के लिए मूल निवासीय प्रमाण।

Original residential proof for 5<sup>th</sup> priority and RTE.

## 7. शुल्क/Fees:

- 7.1 प्रवेश के समय प्रदत्त किए जानेवाले शुल्क संबंधी ब्यौरों को स्कूल के सूचना पट्ट/स्कूल वेबसाइट पर, 1 से 5 तक की प्राथमिकताओं के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ, प्रदर्शित किया जाएगा।

Details of the fees to be paid at the time of admission will be displayed on the School Notice Board/ School website along with the list of selected candidates for priorities 1 to 5.

- 7.2. आरटीई अधिनियम 2009 के अधीन निर्धारित 25% कोटा के अंतर्गत भर्ती होनेवाले बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरटीई अधिनियम अधीन कक्षा I में एक बार भर्ती होने पर बच्चे उसी स्कूल में कक्षा VIII तक छूटों और रियायतों को प्राप्त करते रहेंगे। जिन कर्मचारियों के विभागों में शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा है, आरटीई रियायतों का दावा नहीं कर सकते।

No fee will be charged from the children admitted under the 25% quota prescribed under RTE Act 2009. Once the children are admitted in Class-I under RTE Act, they will continue to enjoy exemptions and concessions till class VIII in the same School. The employees who have the facility of fee reimbursement in their departments cannot claim RTE concessions.

**8. रिक्ति स्थिति/Vacancy position:**

वर्ष **2026-27** के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका III में रिक्तियों की प्रत्याशित संख्या क्रमशः 80 और 40 हैं।

The expected number of vacancies in Std. 1 and Balvatika III for the year **2026-27** are 80 and 40 respectively.

**9. महत्वपूर्ण तिथियां/ Important Dates:**

**9.1 कक्षा I के लिए प्राथमिकता (1) से (6) तक/For Priority (1) to (6) for Class I**

9.1.1 पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक **24.02.2026** है। यदि किन्हीं वैयक्तिक कारणों या कार्य संबंधी आवश्यकताओं से अनुबंधित नियत तिथि के अंदर पंजीकरण फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मुख्य नियंत्रक, वीएसएससी के अनुमोदन के साथ ही उसे स्वीकृत किया जाएगा।

Last date of receipt of the registration form is **24.02.2026**. If registration form is not submitted within the stipulated date due to some personal reasons or exigencies of work, the same will be accepted only with the approval from the Chief Controller, VSSC.

9.1.2 प्रवेश के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची दिनांक **16.03.2026** को स्कूल सूचना पट्ट/ स्कूल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

List of candidates registered for admission will be displayed on the School Notice Board/ School website on **16.03.2026**

9.1.3 क्रम सं. **1** से **40** तक के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश दिनांक **01.04.2026** को और क्रम सं. **41** से **80** तक के शेष अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश दिनांक **02.04.2026** को रहेगा। प्रवेश का समय **पूर्वाह्न 10.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक** है। प्रवेश ऑनलाइन/ऑफलाइन रहेगा जोअलग से अधिसूचित किया जाएगा।

Admission for candidates from Sl. Nos. 1 to 40 will be on **01.04.2026** and for the remaining candidates from Sl. Nos. 41 to 80, will be on **02.04.2026**. Time of admission is from **10.00 AM to 12.00 Noon**. Admission will be online/ offline, being notified separately.

9.1.4 RTE श्रेणी के लिए प्रवेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा तथा प्रवेश तिथि बाद में सूचित की जाएगी।

Admission for RTE Category is subject to approval from competent authority and the admission date will be informed later.

**9.2 बालवाटिका III के लिए/ For Balvatika III**

9.2.1 पंजीकरण प्रपत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक **27/02/2026** है। यदि किन्हीं वैयक्तिक कारणों या कार्य संबंधी आवश्यकताओं से अनुबंधित नियत तिथि के अंदर पंजीकरण फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो मुख्य नियंत्रक, वीएसएससी के अनुमोदन के साथ ही उसे स्वीकृत किया जाएगा।

Last date of receipt of the registration form is **27/02/2026**. If registration form is not submitted within the stipulated date due to some personal reasons or exigencies of work, the same will be accepted only with the approval from the Chief Controller, VSSC.

- 9.2.2 प्रवेश के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 16.03.2026 को स्कूल सूचना पट्ट/ स्कूल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और सभी प्राथमिकताओं के लिए भर्ती दिनांक 04.04.2026 को है।

List of candidates registered for admission will be displayed on the School Notice Board/ School website on 16/03/2026 and admission is on 04/04/2026 for all the priorities.

#### **10. ध्यान देने योग्य बातें/ Points to Note:**

- 10.1 पंजीकरण फॉर्म को पूर्णतया एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण फॉर्मों को अस्वीकृत किया जाएगा।

The Registration form should be filled completely and legibly. Incomplete forms will be rejected.

- 10.2 प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाणपत्रों को संलग्न/ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Necessary certificates should be attached /produced at the time of admission.

- 10.3 जाति या स्थानांतरण के जाली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके या किसी अन्य गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा रद्द किया जाएगा और इस कार्रवाई के खिलाफ कोई अपील स्वीकृत नहीं की जाएगी।

Admission secured on submission of a false certificate of caste or of transfer or any other wrong information, will be cancelled by the Principal and no appeal against such an action will be entertained.

- 10.4 वीएसएससी, आइआइएसयू, एलपीएससी, आइआइएसटी तथा के औसुब कर्मचारियों के बच्चों के लिए वर्ष **2026-2027** के लिए 2 से 9 तक की कक्षाओं में प्रवेश हेतु दिनांक **27.02.2026** से **31.07.2026** तक माता-पिता से पंजीकरण फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा। प्रवेश रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहेगा।

For admission to Classes 2 to 9 for the year **2026-27** for children of VSSC, IISU, LPSC, IIST & CISF employees, registration form will be accepted from the parents from **27.02.2026** onwards till **31.07.2026**. Admission will be subject to the availability of vacancies.

- 10.5 प्रथम प्राथमिकता से चौथी प्राथमिकता तक के लिए सभी कक्षाओं में दिनांक **31.07.2026** तक प्रवेश खुला है और रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन है। तथापि, एसडीएससी - शार से स्थानांतरण मामलों को दिनांक **31.07.2026** के बाद सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के साथ प्रवेश दिया जाएगा।

The admission to all classes for 1<sup>st</sup> priority to 4<sup>th</sup> priority is open till **31.07.2026** and subject to the availability of vacancies. However, transfer cases from SDSC-SHAR, will be admitted, after **31.07.2026** with prior approval from the Competent Authority.

- 10.6 किसी भी प्राथमिकता के लिए, 80 के बाद प्रवेश हेतु सभी आवेदनों को केवल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही स्वीकृत किया जाएगा।

All applications for admission beyond 80 for any priorities will be entertained only with the approval of the Competent Authority.

- 10.7 कक्षा X तथा XII में प्रवेश सीबीएसई दिशा - निर्देशों के आधार पर होगा।  
Admissions to class X and XII will be based on CBSE guidelines.

- 10.8 कक्षा XI में प्रवेश के संबंध में एक अलग परिपत्र जारी किया जाएगा।  
A separate circular regarding the admission to Std XI will be issued.

प्रधानाचार्या / PRINCIPAL

सेवा में / To:

1. मानक परिचालन/ Standard Circulation
2. सभी सूचनापट्ट - वीएसएससी, आइआइएसयू, एलपीएससी तथा आइआइएसटी  
All Notice Boards- VSSC, IISU, LPSC & IIST
3. इंट्रानेट & वेबसाइट प्रदर्शन/ Intranet & Website Display
4. केओसुब यूनिट/ CISF Units
5. इसरा सूचनापट्ट/ ISRA Notice Board



फॉर्म सं. / Form No.

जारी की गई तिथि / Date of Issue :

पंजीकरण सं. / Registration No. :

प्राप्ति की तिथि / Date of Receipt :

**वी एस एस सी केंद्रीय विद्यालय / VSSC CENTRAL SCHOOL**  
**विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र / VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE**  
**तिरुवनंतपुरम / THIRUVANANTHAPURAM**

**पंजीकरण के लिए आवेदन / APPLICATION FOR REGISTRATION**

1. बच्चे का नाम / Name of the Candidate	:
2. जन्म तिथि / Date of Birth	:
3. धर्म एवं जाति / Religion and Caste	:
4. क्या अनु. जाति / अनु. जन जाति के हैं Whether belongs to SC/ST	:
5. किस कक्षा में प्रवेश चाहिए & श्रेणी Class to which admission is sought & Category	:
6. वह स्कूल जहाँ विद्यार्थी इसके पहले पढ़ रहा था School in which the student was studying	:
7. क्या वह स्कूल राज्य सरकार / केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है Whether the school is recognized by the State Govt. / Central Govt.	:
8. पिता / माता का नाम (कर्मचारी) Name of Father/Mother (Employee)	:
9. कर्मचारी कोड सं. / Staff Code No.	:
10. फोन नं. ( कार्यालय ) / Phone No. (Office)	:
11. पदनाम / Designation	:
12. अनुभाग / Section	:
13. प्रभाग / Division	:
14. फोन नं. सहित निवासीय पता Residential Address with Phone No./mob.	:
15. संलग्न प्रमाणपत्र (अनुप्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करें) Certificate attached (Attested copies to be attached)	:

तिथि / Date :

माता पिता के हस्ताक्षर / Signature of the parent

**पावती / ACKNOWLEDGEMENT**

कक्षा ..... के लिए ..... का पंजीकरण फॉर्म, तिथि ..... को  
प्राप्त हुआ एवं उसकी पंजीकरण संख्या ..... है ।

Received the registration form of ..... for Std..... on.....  
and the registration number is .....

स्कूल की मोहर / School Seal

पदधारी के हस्ताक्षर / Signature of the Official

## सत्यापन / VERIFICATION

1. श्री / श्रीमती..... वी एस एस सी के कर्मचारी है। उनकी कर्मचारी कोड सं. .... हो। वे ..... अनुभाग / परियोजना में काम करते / करती हैं और ..... उपर्युक्त कर्मचारी का बेटा / की बेटी है तथा अभिलेख के अनुसार उनकी जन्म तिथि ..... है।  
Shri / Smt. .... is an employee of VSSC, Staff Code No. .... working in ..... Section / Project and ..... is the son / daughter of the above employee and his / her date of birth as per record is .....

तिथि / Date :

प्रशा. अधिकारी / Admn. Officer  
स्थापना अनुभाग / Establishment Section

2. आवेदक वीएसएससी हाउसिंग कॉलनी के निवासी है और क्वार्टर सं. .... में रहते हैं।

The applicant is a resident of the VSSC Housing Colony and is occupying Quarter No. ....

तिथि / Date :

संपदा प्रबंधक / Estate Manager  
वीएसएससी हाउसिंग कॉलनी / VSSC Housing Colony

3. श्री / श्रीमती ..... के.ओ.सुब, वीएसएससी में ..... हैं और ..... उपर्युक्त कर्मचारी का बेटा / की बेटी है। अभिलेख के अनुसार बच्चे की जन्म तिथि ..... है।

Shri / Smt. .... is a ..... in CISF, VSSC and ..... is the son / daughter of the above employee. The date of birth of the child as per record is .....

तिथि / Date :

कमान्डेंट / Commandant  
के.ओ.सुब, वीएसएससी / CISF, VSSC